उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
संख्या-198/2019/2713/92-2-19-79जांच्/2015
लखनऊ:: दिनांक:: 20 दिसम्बर 2019

कार्यालय ज्ञाप

जनपद-मुरादाबाद में वर्ष 2015-16 में चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम जगतपुर रामराय, विकास खण्ड-मूढा पाण्डेय, प्रखण्ड-मुरादाबाद में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 24-12-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-35/2019/474/92-2-19-79जांच/2015 दिनांक 22-02-2019 द्वारा श्री जियाउर्रहमान खां, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, मुख्यालय, लखनऊ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) , ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-646/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-मु0बाद/2019-20 दिनांक 14-08-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में यद्यपि अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित नही पाया गया, परन्तु जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नही कराया गया, जिससे शासकीय क्षति उत्पन्न हुई।

2- अतएव उक्त के दृष्टिगत जॉच अधिकारी की जॉच आख्या से इतर मत रखते हुये शासन के पत्र सं0-2246/92-2-19-79जांच/2015 दिनांक 13-11-2019 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र सं0-मेमो/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0-मु0बाद/2019-20 दिनांक 19-11-2019 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया।

3- अत: अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा कार्य कराते समय कार्य मानक के अनुरूप नही कराया गया, जिसके फलस्वरूप रू0 1201.37 की शासकीय क्षति हुई। यद्यपि इस शासकीय क्षति की धनराशि को संबंधित ठेकेदार द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी, श्री जियाउर्रहमान द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नही कराया गया और शासकीय क्षति उत्फन्न हुई। अतएव उक्त कृत्य के लिये अपचारी अधिकारी, श्री जियाउर्रहमान खां, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, मुख्यालय के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-35/2019/474/92-2-19-79जांच/2015 दिनांक 22-02-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें कठोर चेतावनी देते हुये एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

आर0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-198/2019/2713/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री जियाउर्रहमान खां, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, मुख्यालय लखनऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।